झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :— रा0खा0आ0 (शिकायत)—10 / 2022— 554

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:— 28.06.2022

विषय:— **हरा राशन कार्ड के पीले एवं लाल राशन कार्ड में बदले जाने संबंधी प्रकाशित समाचार के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि दिनांक—10.06.2022 को दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान में "हरा राशन कार्ड, पीला और लाल कार्ड में ऑनलाईन बदल जाएंगे" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार प्रकाशित हुई है। प्रकाशित समाचार में झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत् जारी हरा राशन कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् वेकेंसी होते ही स्वतः लाल अथवा पीला राशन कार्ड में बदल जाने का उल्लेख है।

उल्लेखनीय है कि हरा राशन कार्ड के लाल (PHH) / पीला (AAY) राशन कार्ड में स्वतः परिवर्रित / शिफ्ट हो जाने से PHH/AAY में Vacancy नहीं रहेंगी। परंतु Vacancy नहीं रहने पर PHH कार्डधारी जो सदस्य को जोड़ने हेतु आवेदन देगे उन आवेदनों का निष्पादन कैसे होगा स्पष्ट नहीं हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में वैकल्पिक व्यवस्था करने की कृपा की जाय। यदि इस हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई हो इस संबंध में आयोग को भी अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

28/6/22

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\jharf\Dropbox\Anju\Anju@.docx14

पता—झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची -834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph. No:-06512252267/2252261

32

हिन्दुस्तान

दिनांक :- 10/06/2022

put-up
14/6/22

श्री विनोद
15/06/22

हरा राशन कार्ड पीला और लाल कार्ड में ऑनलाइन बदल जायेंगे

- मंत्री डॉ रामेश्वर ने 8533 हरा राशन कार्डधारी को लाल-पीला कार्ड में बदला
- लाभुकों को नहीं लगाना होगा दफ्तर का चक्कर, ऑनलाइन होगी प्रक्रिया

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के हरा राशन कार्ड अब स्वतः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पीला और लाल राशन कार्ड में ऑनलाइन शिफ्ट होंगे। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत गुरूवार को खाद्य सार्वजनिक व वितरण मामले के विभाग.के मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने की।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में खाली होते ही हरा कार्ड के लाभुक ऑटोमेटिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शिफ्ट हो जाएंगे। इस व्यवस्था के शुरू होने से हरा राशन कार्ड से लाल-पीला कार्ड में शिफ्टिंग में अलग से किसी प्रकार की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही, किसी भी समय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में रिक्ति की स्थिति नहीं होगी। इसी के साथ डॉ रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को 8533 हरा राशन कार्ड के लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमि में शिफ्ट किया। इसमें 932 पीवीटीजी लाभुक, 5685 विधवा, 61 दिव्यांग, 32 कैंसर-एड्स-कुष्ठ व अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति, 55 वृद्ध व एकल व्यक्ति और 1768 अनुसूचित जनजाति के लाभुक शामिल हैं।

झारखंड राज्य गठन के बाद यह पहला अवसर हैं जह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में रिक्ति को शत प्रतिशत भर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में 2,84,25,385 लक्ष्य है।